कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत–डूँगरपुर

क्रमांकः–अधी.अभि. / 2021–22 / ड़ी – 1790-91 दिनांकः– 29/12/2021

कार्यालय आदेश

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा निमर्य भाग द्वितीय 334 परिशिष्ट XVI के अनुभाग VII के अन्तर्गत ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रीकरण प्राधीकार द्वारा प्रत्येक दों वर्ष के पश्चात् ठेकेदार स्वयं के द्वारा और विभागीय क्षेत्राधिकारियों के द्वारा प्रदायित किये जाने वाले कार्य सम्पादन आंकडों के आधार पर पुनर्विलोकन किया जायेगा। कोई ठेकेदार जिसका कार्य सम्पादन असंतोषप्रद पाया जाये। अपना रजिस्ट्रेशन रद्ध कराने ओर नाम रजिस्ट्रीकृत ठेकेदारों की सूची मे से कटवाने के दायित्वाधिन होगा। उक्त नियम की पालना में पंजिकृत सिविल श्रेणी "सी" में पंजीकृत संवेदकों / फर्मो को नोटिस देने के उपरान्त भी पंजीयन का पुनर्विलोकन नहीं करवाया गया हैं ऐसे संवेदकों / फर्मो को निर्देशित किया जाता है कि 2 वर्ष (05.12.2019 तक) पुर्व जारी स्थायी पंजीयन आदेशों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिनांक 05.01.2022 तक पुनर्विलोकन आवश्यक रूप से करवा ले, दिनांक 06.01.2022 से उक्त पंजीयन के आधार पर पुनर्विलोकन नहीं करवाये जाने की स्थिति में पंजीयन नियम के अनुच्छेद VII.3.VI के तहत् संबंधित फर्म / कम्पनी को पुनर्विलोकन नही कराये जाने तक निविदाओं में भाग लेने वंचित किया जाता है।

(एन.एस.मीणा)
अधीक्षण अभियन्ता,
सा0नि0वि0 वृत डूँगरपुर

क्रमांकः–अधी.अभि. / 2021–22 / ड़ी – 1790-91 दिनांकः–29/12/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग संभाग. प्रथम एवं द्वितीय उदयपुर, मुख्यालय बांसवाड़ा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0 वृत उदयपुर / चित्तोडगढ़ / बांसवाड़ा / प्रतापगढ़ / राजसमन्द।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 खण्ड – डूंगरपुर / सागवाड़ा / प्रतिमलवाड़ा
6. ठेकेदार संध, डूंगरपुर को भेजकर आग्रह है कि संबंधित संवेदकों को पुनर्विलोकन हेतु आवश्यक दस्तावेज इस कार्यालय में नियत तिथि से पुर्व प्रस्तुत कराये जाने हेतु निर्देशित / सूचित करने का श्रम करें।
7. मैसर्स ....।
8. स्थापना शाखा।

(एन.एस.मीणा)
अधीक्षण अभियन्ता,
सा0नि0वि0 वृत डूँगरपुर

Scanned by CamScanner